उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-50/2530/पांच-8-2016-जी0(166)/2016
लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-999/चि0-3-2010-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 शान्तनु मिश्रा, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 मिश्रा द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा डा0 मिश्रा की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदौरा, गाजीपुर में की गयी, जहां डा0 मिश्रा द्वारा दिनांक 24-05-2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 शान्तनु मिश्रा तैनाती के पूर्व से दिनांक 11-02-2009 से ही डी0एन0बी0 अध्ययनरत थे। शासनादेश दिनांक 15-09-2010 द्वारा डा0 शान्तनु मिश्रा को पी0जी0 कोर्स करने हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी। डा0 शान्तनु मिश्रा द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 05-01-2016 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा बिना शासन की अनुमति के डा0 शान्तनु मिश्रा को कार्यभार ग्रहण करा लिया गया।

2- इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 22-06-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 शान्तनु मिश्रा, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन दिनांक 05-01-2016 से कार्यभार ग्रहण करने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 मिश्रा की सेवायें दिनांक 05-01-2016 अर्थात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-50/2530(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 शान्तनु मिश्रा, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ कि डा0 शान्तनु मिश्रा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 05-01-2016 से नियमानुसार वेतन भुगतान कराने का कष्ट करें।

6- कोषाधिकारी, गाजीपुर।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-51/2072/पांच-8-2016-म0(172)/2012
लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2298/पांच-8-2014-म0(172)/2012, दिनांक 11-11-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 स्वप्निल सिंह की नियुक्ति/तैनाती जिला चिकित्सालय, गाजीपुर के अधीन की गयी। डा0 सिंह के पत्र दिनांक 25-11-2014 द्वारा जिला चिकित्सालय, गाजीपुर की गयी तैनाती को परिवर्तित करते हुए जिला चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-24/661/पांच-8-2015-म0(172)/2012, दिनांक 16-02-2015 द्वारा मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में तैनात किया गया था। मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में पद रिक्त न होने के कारण डा0 सिंह को कार्यभार ग्रहण न कराते हुए तैनाती स्थल संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 स्वप्निल सिंह, चिकित्साधिकारी की मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में की गई तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ (एफ0आर0यू0)के अधीन एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 स्वप्निल सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-11-2014 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-51/2072(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/आजमगढ़ मण्डल।
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मण्डीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़।
9- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर।
10- कोषाधिकारी, गाजीपुर/आजमगढ़।
11- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-55/2167/पांच-8-2016-जी0(127)/2016
लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5702/चि0-3-08-05(नियुक्ति)/2008, दिनांक 15-12-2008 द्वारा डा0 आलोक कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 आलोक कुमार द्वारा दिनांक 30-12-2008 को मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। डा0 आलोक कुमार द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन के आदेश दिनांक 09-01-2009 के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा, जालौन में चिकित्साधिकारी के पद पर दिनांक 12-01-2009 को कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त डा0 आलोक कुमार का चयन पी0जी0 कोर्स एम0एस0 आर्थोपैडिक्स में हो गया तथा वे अध्ययनरत हो गये। डा0 आलोक कुमार द्वारा वर्ष 2014 में पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने तथा दिनांक 28-07-2014 से दिनांक 07-05-2015 एवं दिनांक 10-06-2015 से दिनांक 09-12-2015 तक लाला लाजपत राय इस्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ के चिकित्सा महाविद्यालय, मेरठ के अस्थि रोग विभाग में सीनियर रेजीडेण्ट के पद पर कार्य करने के उपरान्त पत्र दिनांक 18-04-2016 द्वारा योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। डा0 आलोक कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी पी0जी0 अवधि एवं सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्यरत रहने की अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 आलोक कुमार, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20-10-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन के कार्यालय में योगदान

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

<u>संख्या-55/2167(1)/पांच-8-2016-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 आलोक कुमार, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 20-10-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ
4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल, झांसी।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन।
6- कोषाधिकारी, जालौन।
7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-56/1659/पांच-8-2016-म0(21)/2015
लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2015-म0(345)/2014, दिनांक 18-09-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 बृजेश कुमार की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के अधीन की गयी। पुन: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3921/पांच-8-2015-म0(345)/2012टी0सी0-11, दिनांक 02-12-2014 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के अधीन की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए संयुक्त चिकित्सालय, साढ़ामऊ, बक्शी का तालाब, लखनऊ में तैनात किया गया था। डा0 बृजेश कुमार पी0जी0 कोर्स में अध्ययनरत होने के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे।

2- अत: सम्यक विचारोपरान्त डा0 बृजेश कुमार, चिकित्साधिकारी की संयुक्त चिकित्सालय, साढ़ामऊ, बक्शी का तालाब, लखनऊ की गई तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर नगर के मानसिक रोग विभाग में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के रिक्त मेडिकल आफीसर मेन्टल के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 बृजेश कुमार, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-09-2014 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-56/1659(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 27-07-2016 के क्रम में।
5- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर ।
6- प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर नगर।
7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
9- मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा/कानपुर नगर।
10- कोषाधिकारी, इटावा/कानपुर नगर।
11- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-58/वी0आई0पी0-77/पांच-8-2016-जी0(53)/2016
लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-999/चि0-3-2010-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 गोपाल, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के क्रम में डा0 गोपाल द्वारा अपनी योगदान आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात द्वारा डा0 गोपाल की तैनाती नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उरसान, कानपुर देहात में की गयी, जहां डा0 गोपाल द्वारा दिनांक 29-06-2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्ष 2012 में डा0 गोपाल का चयन पी0जी0 (डी0सी0एच0) में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में हो गया। डा0 गोपाल द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 13-04-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/1452/पांच-8-2016-जी0(53)/2016, दिनांक 18-05-2016 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात में की गयी। डा0 गोपाल के दिनांक रहित पत्र द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अपनी तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात से परिवर्तित कर जनपद-गोरखपुर किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अत: सम्यक विचारोपरान्त डा0 गोपाल, पी0जी0(डी0सी0एच0) की मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 गोपाल की पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 गोपाल, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20-10-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा० नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-58/वी0आई0पी0-77(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 गोपाल, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 20-10-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ
4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर/गोरखपुर मण्डल।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात/गोरखपुर।
6- कोषाधिकारी, कानपुर देहात/गोरखपुर।
7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।